भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2288
09.12.2024 को उत्तर के लिए

सीएएमपीए कोष

2288. डॉ. सी. एन. मंजूनाथः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य द्वारा वर्ष 2021 के दौरान अवरोधक लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सीएएमपीए निधियों के अंतर्गत कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों को सीएएमपीए निधि के वार्षिक आवंटन के लिए क्या मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी संबंधित राज्य प्रतिपूरक वनीकरण (सीएएमपीए) निधि के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यों/कार्यकलापों का निष्पादन करते हैं। राज्य सीएएमपीए (प्राधिकरण) अपनी वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) तैयार राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते हैं। कर्नाटक राज्य सीएएमपीए ने हाथी रेल अवरोधक लगाने (बैरिकेडिंग) के कार्य सहित वर्ष 2020-21 की एपीओ 49.00 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्यय के साथ प्रस्तुत की। राष्ट्रीय प्राधिकरण ने मानव-पशु संघर्षों के प्रबंधन से संबंधित कार्य अनुमोदित किए, लेकिन रेल अवरोधक लगाने का कार्य अनुमोदित नहीं किया था। इसी प्रकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण ने रेल अवरोधक लगाने के कार्य को छोड़कर वर्ष 2021-22 के कर्नाटक राज्य 'सीएएमपीए' की एपीओ में मानव-पशु संघर्षों के प्रबंधन कार्यकलापों को अनुमोदित किया था।

सीएएफ अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के सार्वजनिक खातों में धनराशि मौजूद है तथा राष्ट्रीय सीएएमपीए से धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में रेल अवरोधक लगाने के कार्यों से संबंधित धनराशि को छोड़कर मानव-पशु संघर्षों के उपशमन हेतु राज्य सीएएमपीए निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	**वर्ष**	**मानव-पशु संघर्ष के प्रबंधन के लिए कर्नाटक राज्य एपीओ में अनुमोदित राज्य सीएएमपीए कोष (करोड़ रूपये में)**
1.	2019-20	शून्य
2.	2020-21	शून्य
3.	2021-22	30.00*
4.	2022-23	15.00
5.	2023-24	शून्य

*रेल बैरिकेडिंग के कार्यों से संबंधित धनराशि को छोड़कर

****